(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 04–दो/96 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 17–5–1996 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल – प्रकरण कमांक 14 /1995–96 पुनरावलोकन

रामचरण पुत्र गयाप्रसाद
ग्राम पिपरिया तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्व

कोमलप्रसाद पुत्र गोरेलाल
ग्राम पिपरिया तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 2–2– 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 14 /1995–96 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 17–5–96 के विरूद्व यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 33/94–94निग.

में पारित आदेश दिनांक 17-11-95 को पुनरावलोकन में लेकर आदेश दिनांक 17-5-1996 पारित किया तथा आदेश के अंतिम पद में निगरानी मान्य करने के स्थान पर अमान्य शब्द टंकित होने से त्रृटि सुधार किया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 152 के तहत आवेदन दिया था, जिसे पुनरावलोकन आवेदन नहीं माना जा सकता, परन्तु इस आवेदन पर अपर आयुक्त ने पुनरावलोकन प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 17-11-1995 में सुधार करने की त्रृटि की है, इसलिये निगरानी स्वीकार की जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17-11-1995 एंव आदेश दिनांक 17-5-1996 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आदेश दिनांक 17-11-95 का संपूर्ण भाग एंव निकाले गये निष्कर्ष सही है परन्तु आदेश के अंतिम पद में निगरानी मान्य करने के स्थान पर भूलवश टंकण त्रृटि से अमान्य शब्द लिखा हो गया है जिसे पुनरावलोकन में लेकर आदेश दिनांक 17-11-95 से सुधारा गया है। इन दोनों आदेशों को पारित करने वाले अधिकारी एक ही पीठासीन अधिकारी रहे हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में व्यवस्था दी गई है कि ऐसा राजस्व अधिकारी जिसने आदेश पारित किया है आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा, यदि उसके पूर्वाधिकारी व्दारा आदेश

पारित किया गया है, तब उसे वरिष्ठ की अनुमति लेना आवश्यक हैं। परिणामतः अपर आयुक्त ने स्वयं् व्दारा पारित आदेश दिनांक 17-11-1995 में हुई टंकण त्रृटि को आदेश दिनांक 17-5-1996 से दुरूस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त,भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 14 /1995-96 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 17-5-96 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर